


II। निगम/रीवा/2018/01753

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0



श्रीमती रामवती साकेत पत्नी श्री छटिलाल साकेत उम्र 45 साल निवासी
ग्राम नकवार, तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0

अधीनस्थ तहसीलदार
द्वारा दिनांक 11.11.17

.....आवेदिका/निगरानीकर्ता

बनाम

1. कमलनाथ भुर्तिया पिता रामकिशोर भुर्तिया साकिम नकवार, तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0
2. शासन म0प्र0

.....अनावेदकगण/गैर निगरानीकर्तागण
निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील हनुमना जिला रीवा के प्र0क02 ए74/16-17 मे पारित आदेश दिनांक 17.11.17 के विरुद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959ई.

मान्यवर

निगरानी के आधार निम्न लिखित है:-

1. यह कि , अधीनस्थ तहसीलदार तहसील हनुमना के आदेश दिनांक 17.11.17 बिधि प्रक्रिया के बिपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि , निगरानीकर्ता अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना जिला रीवा के प्र0क0192 /अ 66/12-13 दिनांक 28.6.13 के विरुद्ध म0प्र0वास स्थान दखलकार भूमिस्वामी अधिकारी का प्रदाय किया जाना अधिनियम 1980 की धारा 6 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गयी थी , आराजी नम्बर 150/2 रकवा 1.199हे0 जो स्थित ग्राम नकवार तहसील हनुमना की भूमि निगरानीकर्ता के पट्टे व कब्जे की

रामवती साकेत



14/12/18

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II/निग0/रीवा/भू-रा0/2018/01753

जिला-रीवा

श्रीमती रामवती साकेत/ कमलनाथ भुर्तिया

| (1) | (2) | (3) |
|------------|---|-----|
| 18-12-18 - | <p>1. आवेदक की ओर से श्री राजेन्द्र पटेल अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 02/ए-74/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 17.11.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20.02.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p> <p style="text-align: center;">  </p> | |